संचिका सं० -03/NULM-08/21...1055...न०वि०एवं आ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 29/07/21

विषय- **DAY-NULM योजना के SUH घटक अंतर्गत निर्मित आश्रय स्थलों का प्रयोजन आश्रयविहीनों के हित में किये जाने के सम्बन्ध में।**

प्रसंग- **नगर निगम दरभंगा का पत्रांक-4199, दिनांक-09.12.2020 नगर परिषद् नवादा का पत्रांक -962 दिनांक-28.06.2021, गोगरी जमालपुर का पत्रांक-400, दिनांक-08.05.2021 एवं हाजीपुर का पत्रांक-2468, दिनांक-30.12.2020।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में सूचित करना है कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजनान्तर्गत आपके जिले में निर्मित आश्रय स्थल की वाद संख्या- W.P.(C)55/2003 E.R.Kumar & ANR. Vs. Union of India के आलोक में गठित राज्य स्तरीय आश्रयस्थल अनुश्रवण समिति (SLSMC) के द्वारा प्रचालन एवं संचालन से सम्बंधित मासिक समीक्षा की जाती है तथा माननीय सर्वोच्च् न्यायालय को इससे सम्बंधित प्रतिवेदन भी समय-समय पर उपलब्ध कराया जाता है। प्रसांगिक पत्रों द्वारा नगर निगम दरभंगा नगर परिषद् नवादा, गोगरी जमालपुर एवं हाजीपुर ने प्रतिवेदित किया है कि निकाय अंतर्गत सदर अस्पताल के अन्दर अथवा उनके निकट निर्मित आश्रय स्थलों को अस्पताल में हस्तान्तरित कर दिया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि सभी आश्रय स्थलों का संचालन एवं प्रचालन शहरी गरीब महिलाओं के आजीविका को बढ़ावा देने हेतु गठित स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के क्षेत्र स्तरीय संगठनो (ALOs) के द्वारा किया जाता है।

3. विदित हो कि DAY-NULM एक केंद्र प्रायोजित योजना है,जिसके अंतर्गत आश्रय स्थलों का निर्माण किया गया है तथा इन सभी निर्मित आश्रय स्थलों के निर्माण हेतु भूमि पर अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त है। आपके जिले में स्थित सभी आश्रय स्थलों का उपयोग शहरी क्षेत्रान्तर्गत आश्रयविहीनों के हित में ही किया जाना है। इस योजना का लक्ष्य आश्रयविहीनों को आश्रय स्थलों में सभी प्रकार की मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराते हुए इन सभी लाभुकों को अन्य सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करना है।

4. अतः अनुरोध है कि आपके जिला अंतर्गत अस्पतालों के परिसर या उससे निकट स्थल पर निर्मित आश्रय स्थल को अस्पताल को दिए जाने या किसी अन्य प्रयोजन से सम्बंधित पूर्व में दिए गये निदेश को निरस्त करते हुए शहरी आश्रयविहीनों के हित में सभी आश्रय स्थलों का संचालन योजना के अनुरूप ही कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।

संचिका सं० -03/NULM-08/21......................न०वि०एवं आ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक......................

विषय- **DAY-NULM योजना के SUH घटक अंतर्गत निर्मित आश्रय स्थलों का प्रयोजन आश्रयविहीनों के हित में किये जाने के सम्बन्ध में।**

प्रसंग- नगर निगम दरभंगा का पत्रांक-4199, दिनांक-09.12.2020 नगर परिषद् नवादा का पत्रांक -962 दिनांक-28.06.2021, गोगरी जमालपुर का पत्रांक-400, दिनांक-08.05.2021 एवं हाजीपुर का पत्रांक-2468, दिनांक-30.12.2020 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में सूचित करना है कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजनान्तर्गत आपके जिले में निर्मित आश्रय स्थल की वाद संख्या- W.P.(C)55/2003 E.R.Kumar & ANR. Vs. Union of India के आलोक में गठित राज्य स्तरीय आश्रयस्थल अनुश्रवण समिति (SLSMC) के द्वारा प्रचालन एवं संचालन से सम्बंधित मासिक समीक्षा की जाती है तथा माननीय सर्वोच्च् न्यायालय को इससे सम्बंधित प्रतिवेदन भी समय-समय पर उपलब्ध कराया जाता है। प्रसांगिक पत्रों द्वारा नगर निगम दरभंगा नगर परिषद् नवादा, गोगरी जमालपुर एवं हाजीपुर ने प्रतिवेदित किया है कि निकाय अंतर्गत सदर अस्पताल के अन्दर अथवा उनके निकट निर्मित आश्रय स्थलों को अस्पताल में हस्तान्तरित कर दिया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि सभी आश्रय स्थलों का संचालन एवं प्रचालन शहरी गरीब महिलाओं के आजीविका को बढ़ावा देने हेतु गठित स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के क्षेत्र स्तरीय संगठनो (ALOs) के द्वारा किया जाता है।

3. विदित हो कि DAY-NULM एक केंद्र प्रायोजित योजना है,जिसके अंतर्गत आश्रय स्थलों का निर्माण किया गया है तथा इन सभी निर्मित आश्रय स्थलों के निर्माण हेतु भूमि पर अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त है। आपके जिले में स्थित सभी आश्रय स्थलों का उपयोग शहरी क्षेत्रान्तर्गत आश्रयविहीनों के हित में ही किया जाना है। इस योजना का लक्ष्य आश्रयविहीनों को आश्रय स्थलों में सभी प्रकार की मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराते हुए इन सभी लाभुकों को अन्य सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करना है।

4. अतः अनुरोध है कि आपके जिला अंतर्गत अस्पतालों के परिसर या उससे निकट स्थल पर निर्मित आश्रय स्थल को अस्पताल को दिए जाने या किसी अन्य प्रयोजन से सम्बंधित पूर्व में दिए गये निदेश को निरस्त करते हुए शहरी आश्रयविहीनों के हित में सभी आश्रय स्थलों का संचालन योजना के अनुरूप ही कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।

1055 29/07/21

प्रतिलिपि: नगर आयुक्त, सभी नगर निगम / कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् तथा नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव 28/7/21